फर्द अहकाम
न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जालोर
सेशन प्रकरण संख्या 11/2017, सीआईएस नं. 25/2017
सरकार बनाम नारायणपुरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.04.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त राजूसिंह मफरूर है। अभियुक्तगण नारायणपुरी, भरतसिंह, भरत कुमार व पारसमल बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त लाखाराम अनुपस्थित। जरिए अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया जाता है। गवाह बाबूसिंह का जमानती वारण्ट अदम तामील लौटा है। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लक्षित प्रकरणों की सूची में सम्मिलित है। गवाह पीडब्ल्यू 37/48 बाबूसिंह हस्तगत प्रकरण का अंतिम गवाह है। गवाह संख्या 48 बाबूसिंह जरिए जमानती वारण्ट 2,000/– रुपये से तलब हो। गवाह का जमानती वारण्ट तामीलार्थ पुलिस अधीक्षक, जालोर को इस आशय के पत्र के साथ प्रेषित किया जाए कि हस्तगत प्रकरणं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लक्षित प्रकरणों की सूची में सम्मिलित है। गवाह हस्तगत प्रकरण का अंतिम गवाह है एवं उसे दीर्घ अवधि से तलब किया जा रहा है, जिसके बावजूद भी गवाह अनुपस्थित रह रहा है। अतः गवाह की तामील आवश्यक रूप से करवाई जाए। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 07.05.2026 को पेंश हो। सेशन न्यायाधीश जालोर (राज.)	SP जालोर पत्र मय BW 574 28.4.26